

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 277 / 2019

1. राकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. भागवंती पत्नी रामकुमार } जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला
2. प्रियंका पुत्री रामकुमार } हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि रामकुमार के नाम से चकनं0 2 डीपीएम के खाता सं0 111 में . 506 मेसे 1/3 हिस्सा व चकनं0 3 डीपीएम के खाता सं0 75 में .253 मे से 1/20 हिस्सा व खाता सं0 109 में 2.024 है0 में से 1/3 हिस्सा व चकनं0 16 एफटीपी के खाता सं0 119 में 1.687 है0 में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी सं0 1 को ब0हि0ब0 के खातेदार कर्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 2 डीपीएम के खाता सं0 111, चकनं0 3 डीपीएम के खाता सं0 75, इसी चक के खाता सं0 109 व चक 16 एफटीपी के खाता सं0 119 में से रामकुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसवत मेरे दस्तरख्त एवं मुहुर अदालत से आज दिनांक...04-09-2019...को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा) एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी